नियत कर पत्रावली की। Vm

13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। मूल वाद डिक्री किया जा चुका है, अतः T.I. पत्रावली में अब आगामी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं होने से T.I. पत्रावली औचित्यहीन होकर स्वतः खारिज योग्य है। अतः T.I. पत्रावली एतद् द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कौशल कुमार को जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। Vm

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2024.02.29 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested